न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(कल्पना अग्रवाल, आई.ए.एस द्वारा अध्यारित)

प्रकरण संख्या 07 / 2021
प्रविष्टि दिनाक 18.01.2021

घनश्याम सिंह पुत्र गजराज सिंह जाति राजपूत निवासी जूनिया तहसील देवली जिला टोंक राज.
अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी टोंक राज.
रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 20.07.2004 जिला रसद अधिकारी टोंक

उपस्थिति:–
1. श्री कैलाश अहलूवालिया, अभिभाषक –अपीलान्ट
2. पेराकार सरकार –रेस्पाडेन्ट

दिनांकः–07.10.2025

निर्णय

अपील अपीलान्ट का सांराश इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी टोंक ने आदेश दिनांक 20.07.2004 से श्री घनश्याम सिंह,उचित मूल्य दुकानदार जूनिया तहसील देवली जिला टोंक का प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन मानते हुए अप्रार्थी डीलर की जमाशुदा सम्पूर्ण प्रतिभूत राशि 500 रूपये जब्त सरकार करते हुये प्राधिकार पत्र को निरस्त किये जाने पर उक्त आदेश से अपीलान्ट ने व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पाडेन्ट की गई तथा अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गई। पत्रावली के सबंध मे जिला रसद अधिकारी टोंक ने पत्र कमांक 3062 दिनांक 09.12.2024 से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की है। अभिभाषक अपीलांट एंव पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील/लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलाण्ट को राज्य सरकार द्वारा उचित मूल्य की दुकान ग्राम जूनिया का प्राधिकार पत्र दिनांक 06.07.2000 को जारी किया गया था। अपीलांट उचित मूल्य की दुकान का संचालन कर रहा था कि प्रवर्तन निरीक्षक देवली द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना घाड मे इस आशय की दर्ज करायी गई कि घनश्याम सिंह द्वारा अनियमितताए करने के कारण प्राधिकार पत्र निलम्बित किया हुआ है, जिसमे काम के बदले अनाज योजना का रिकार्ड वास्ते अग्रिम जांच सबूत जप्त किया गया। मौके पर उचित मूल्य की दुकान का बोर्ड तथा मूल्य एवं स्टॉक की सूची लगा नही पाया गया। दुकानदार द्वारा लेवी चीनी और कैरोसिन तेल स्टॉक तथा वितरण रजिस्टर मांगने पर वास्ते जांच उपलब्ध नही कराया गया। काम के बदले अनाज योजना के मद में 270 क्वि.गेहूं जिसका वितरण प्रस्तुत नही किया गया एवं 16.05.2002 को मुताबिक रिकार्ड एवं भौतिक सत्यापन 2 क्वि. गेहूं स्टॉक मे पाया गया तथा किसी प्रकार का कोई कूपन जमा कराना शेष नहीं मिला।इस प्रकार उचित मूल्य दुकानदार ने अनियमितताये करते हुए उचित मूल्य की दुकान का बोर्ड, मूल्य एवं स्टॉक सूची बोर्ड नही लगाकर तथा कैरोसिन तेल एवं लेवी चीनी के स्टॉक एवं वितरण रजिस्टर जांच के समय उपलब्ध ना कराकर एवं अकाल

जिला कलेक्टर
टोंक

राहत मद से श्रमिको को निःशुल्क वितरण से उपलब्ध कराये गये गेहूं 268.36 क्वि. गेहूं का गबन कर राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5 ता. 8 एवं 11 का स्पष्ट उल्लंघन कर गंभीर अनियमितताये की है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है,जिसके आधार पर पुलिस थाना घाड ने अपीलार्थी के विरूद्ध अ. धारा 3/7 ई.सी. एक्ट एवं 420, 406 भा.द.सं. मे प्रकरण दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया साथ ही अपीलार्थी की दुकान का प्राधिकार पत्र भी अस्थाई तौर पर निलम्बित कर उसका अतिरिक्त चार्ज श्री रामलाल गुर्जर उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत गैरोली को दिनांक 06.06.2002 को वैकल्पिक व्यवस्था के लिए दे दिया गया। पुलिस द्वारा प्रस्तुत चालान के तहत अपीलार्थी के विरूद्ध माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक के न्यायालय मे फौजदारी प्रकरण संख्या 275/2005 की समस्त आवश्यक कार्यवाही चार्ज लगना, गवाहान पेश होना व दस्तावेजात की जांच होना तथा बाद बहस उक्त प्रकरण मे लगाये गये सभी आरोप विशेषतया अ. धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम से दोषमुक्त किये जाने के आदेश दिनांक 02.02.2019 को प्रदान किये गये है, जिसके विरूद्ध विभाग द्वारा कोई अपील आज तक भी नही की गई है। तत्पश्चात अपीलार्थी द्वारा अपना प्राधिकार पत्र बाबत उचित मूल्य की दुकान पुनः बहाल करने के सम्बन्ध मे आवेदन दिनांक 01.07.2019 को प्रस्तुत किया, जिसका विभाग द्वारा कोई उत्तर ना देते हुए मौखिक रूप से विभाग द्वारा यह अवगत करवाया गया कि आपका अनुज्ञा पत्र जिला रसद विभाग टोंक द्वारा वर्ष 2004 मे ही निरस्त कर दिया गया है। अपीलांट ने कई बार विभाग मे उसे बिना सुने की गई कार्यवाही जो तथाकथित रूप से 2004 में होना बताया गया, जिसके तहत उसका प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया कि कार्यवाही की प्रति चाही, परन्तु उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई तथा उसे मौखिक रूप से यह सूचित किया गया कि विभाग में उक्त कार्यवाही की कोई पत्रावली उपलब्ध नही है। दिनांक 22.06.2020 को अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा जिला रसद अधिकारी रसद टोंक से सूचना के अधिकार के तहत उसके विरूद्ध की गई जांच एवं प्राधिकार पत्र को निरस्त किये जाने की कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली की नकल चाही गई, परन्तु कार्यालय जिला रसद अधिकारी टोंक ने दिनांक 04.08.2020 को जवाब प्रेषित किया कि आप द्वारा चाही गई सम्बन्धित पत्रावली कार्यालय के रिकार्ड मे उपलब्ध नहीं है। माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक ने उनवानी प्रकरण सरकार बनाम घनश्याम, प्रकरण संख्या 275/2005 अ. धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 मे अपने निर्णय दिनांक 02.02.2019 से अपीलार्थी को दोषमुक्त किया है। जिला रसद अधिकारी टोंक द्वारा दिनांक 20.07.2004 को निर्णय पारित किया गया है। निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है और न ही निर्णय से संबंधित पत्रावली न्यायालय हाजा मे भिजवाई है। जिला रसद अधिकार टोंक ने अपीलांट की बिना सुनवाई किये ही तथाकथित निर्णय पारित किया है। अतः जिला रसद अधिकारी द्वारा गलत निर्णय पारित किया गया जिसे निरस्त किया जावे।

पेरोकार सरकार ने जवाबी बहस में कथन किया कि उचित मूल्य दुकानदार श्री घनश्याम सिंह निवासी जूनिया तहसील देवली द्वारा काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत अकाल राहत श्रमिकों को कूपन के माध्यम से वितरण किये जाने वाले गेहूँ की प्राप्ति तथा शेष स्टॉक का हिसाब वार–बार निर्देश दिये जाने के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 16.05.2002 को जिला रसद अधिकारी टोंक के निर्देश में उक्त दुकानदार का निरीक्षण किया गया तथा रिकॉर्ड वास्ते जॉच जब्त किया गया। उक्त दुकानदार द्वारा लेवी चीनी और केरोसीन तेल स्टॉक तथा वितरण रजिस्टर मांगने पर वास्ते जॉच उपलब्ध नहीं करवाये गये। दुकानदार द्वारा काम के बदले अनाज योजना में क्रय विक्रय सहकारी समिति देवली द्वारा दिनांक 09.05.2001 से 30.06.2001 के मध्य कुल 604.27

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

क्वि. गेहूँ अकाल राहत कूपनों पर वितरण हेतु उपलब्ध करवाया गया था,जिसमें से डीलर द्वारा 333.91 क्वि. गेहूँ कपूनों पर वितरण कर उसकी कमीशन राशि तहसील कार्यालय देवली से प्राप्त कर ली गई तथा शेष 270 क्वि. गेहूँ का कोई हिसाब प्रस्तुत नहीं किया। दिनांक 16.05.2002 को मुताबिक रिकॉर्ड एवं भौतिक सत्यापन के 2 क्वि. गेहूँ स्टॉक में पाया गया। इस प्रकार 268.36 क्वि. गेहूँ मौके पर कम पाया गया। दुकानदार के पास किसी प्रकार का कोई कूपन जमा कराने से शेष नहीं मिला। इस प्रकार उचित मूल्य दुकानदार द्वारा दुकान का बोर्ड तथा मूल्य व स्टॉक की सूची बोर्ड नहीं लगाकर तथा केरोसीन एवं लेवी चीनी के स्टॉक एवं वितरण रजिस्टर वास्ते जॉच उपलब्ध नहीं कराकर तथा अकाल राहत मद से श्रमिकों को कूपनों के आधार वितरण हेतु उपलब्ध कराये गये गेहूँ में से 268.36 क्वि. गेहूँ का गबन कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5, 8, एवं 11 का स्पष्ट उल्लघंन कर गम्भीर अनियमितताऐं की गई जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने के कारण पुलिस थाना घाड में डीलर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 3/7 ई सी एक्ट एवं 420, 406 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। डीलर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करते हुए प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया गया व दिनांक 20.07.2004 को प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। प्रकरण में माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 22.02.2019 को प्रकरण संख्या 75/2005 में दोषमुक्त घोषित किया गया। दोषमुक्त घोषित होने पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 01.07.2019 को प्राधिकार पत्र पुनः बहाल करने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी को अवगत करा दिया गया कि आपका अनुज्ञा पत्र 20.07.2004 को निरस्त कर दिया गया था। माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक ने पारित निर्णय मे डीलर के प्राधिकार पत्र को बहाल करने बाबत् कोई निर्देश जारी नहीं किये गये।उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र गम्भीर अनियमितताऐ करने के कारण निलम्बित किया गया व सुनवाई का अवसर देते हुए दिनांक 20.07.2004 को निरस्त किया गया है।प्रकरण में डीलर का प्राधिकार पत्र दिनांक 20.07.2004 को निरस्त कर दिया गया था। उक्त निरस्तीकरण की कार्यवाही के विरूद्ध डीलर को 30 दिवस की अवधि में सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी जो डीलर द्वारा नहीं की गयी।उचित मूल्य दुकानदार को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए तथा विभागीय प्रक्रिया का पूर्णतः पालन करते हुए कार्यवाही की गई है।अप्रार्थी डीलर का उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5, 8 एवं 11 का स्पष्ट उल्लघंन है। जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है। अपीलाण्ट द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लधंन करने पर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। अतः अपील अपीलाण्ट निरस्त की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट व पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली के सबंध मे जिला रसद अधिकारी टोंक द्वारा पत्र कमांक 3062 दिनांक 09.12.2024 से प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं दस्तावेजात का अध्ययन किया। उचित मूल्य दुकानदार श्री घनश्याम सिंह द्वारा काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत अकाल राहत श्रमिकों को कूपन के माध्यम से वितरण किये जाने वाले गेहूँ की प्राप्ति तथा शेष स्टॉक का हिसाब बार–बार निर्देश दिये जाने के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 16.05.2002 को जिला रसद अधिकारी टोंक के निर्देश में उक्त दुकानदार का निरीक्षण किया गया तथा रिकॉर्ड वास्ते जॉच जब्त किया गया। उक्त दुकानदार द्वारा लेवी चीनी और केरोसीन तेल स्टॉक तथा वितरण रजिस्टर मांगने पर वास्ते जॉच उपलब्ध नहीं करवाये गये। दुकानदार द्वारा काम के बदले अनाज योजना में क्रय विक्रय सहकारी समिति देवली द्वारा दिनांक 09.05.2001 से 30.06.2001 के मध्य कुल 604.27 क्वि. गेहूँ अकाल राहत कूपनों पर

जिला कलेक्टर
टोंक

वितरण हेतु उपलब्ध करवाया गया था,जिसमे से डीलर द्वारा 333.91 क्वि. गेहूँ कपूनों पर वितरण कर उसकी कमीशन राशि तहसील कार्यालय देवली से प्राप्त कर ली गई तथा शेष 270 क्वि. गेहूँ का कोई हिसाब प्रस्तुत नही किया। दिनांक 16.05.2002 को मुताबिक रिकॉर्ड एवं भौतिक सत्यापन के 2 क्वि. गेहूँ स्टॉक में पाया गया। इस प्रकार 268.36 क्वि.गेहूँ मौके पर कम पाया गया। दुकानदार के पास किसी प्रकार का कोई कूपन जमा कराने से शेष नहीं मिला। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा दुकान का बोर्ड तथा मूल्य व स्टॉक की सूची बोर्ड नहीं लगाकर तथा केरोसीन एवं लेवी चीनी के स्टॉक एवं वितरण रजिस्टर वास्ते जॉच उपलब्ध नहीं कराकर तथा अकाल राहत मद से श्रमिकों को कूपनों के आधार वितरण हेतु उपलब्ध कराये गये गेहूँ में से 268.36 क्वि. गेहूँ का गबन कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5, 8, एवं 11 का स्पष्ट उल्लघंन कर गम्भीर अनियमितताऐं की गई जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने के कारण पुलिस थाना घाड में डीलर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 3/7 ई सी एक्ट एवं 420, 406 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

अभिभाषक अपीलांट का तर्क है कि निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है और संबंधित पत्रावली न्यायालय हाजा द्वारा तलब किये जाने के उपरान्त भी जिला रसद अधिकारी टोंक द्वारा वांछित पत्रावली नही भिजवाई है। माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक ने उनवानी प्रकरण सरकार बनाम घनश्याम, प्रकरण संख्या 275/2005 अ. धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 मे अपने निर्णय दिनांक 02.02.2019 से अपीलार्थी को दोषमुक्त किया है,परन्तु पत्रावली के सबंध मे जिला रसद अधिकारी टोंक द्वारा पत्र कमांक 3062 दिनांक 09.12.2024 से प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट मे "अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है। माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक ने पारित निर्णय मे डीलर के प्राधिकार पत्र को बहाल करने बाबत् कोई निर्देश जारी नहीं किये गये।डीलर का प्राधिकार पत्र दिनांक 20.07.2004 को निरस्त कर दिया गया था। उक्त निरस्तीकरण की कार्यवाही के विरूद्ध डीलर को 30 दिवस की अवधि में सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी जो डीलर द्वारा नहीं की गयी।दुकानदार द्वारा काम के बदले अनाज योजना में क्रय विक्रय सहकारी समिति देवली द्वारा दिनांक 09.05.2001 से 30.06.2001 के मध्य कुल 604.27 क्वि. गेहूँ अकाल राहत कूपनों पर वितरण हेतु उपलब्ध करवाया गया था,जिसमें से डीलर द्वारा 333.91 क्वि. गेहूँ कपूनों पर वितरण करना। 270 क्वि. गेहूँ का कोई हिसाब प्रस्तुत नहीं करना। दिनांक 16.05.2002 को मुताबिक रिकॉर्ड एवं भौतिक सत्यापन मे 2 क्वि. गेहूँ स्टॉक में पाया गया। अकाल राहत मद से श्रमिकों को कूपनों के आधार वितरण हेतु उपलब्ध कराये गये गेहूँ में से 268.36 क्वि. गेहूँ का गबन कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5, 8, एवं 11 का स्पष्ट उल्लघंन कर गम्भीर अनियमितताऐं की गई का उल्लेख है।

अपीलांट द्वारा जिला रसद अधिकारी टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.07.2004 की अपील 30 दिवस की अवधि में न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिये थी,परन्तु अपीलांट द्वारा लगभग 17 वर्ष पश्चात् पेश की गई है। माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 02.02.2019 में अपीलांट को फौजदारी प्रकरण में दोषमुक्त किया है, परन्तु प्राधिकार पत्र के संबंध में कोई निर्देश पारित नहीं किए है। भौतिक सत्यापन करने पर उचित मूल्य दुकान में कुल 268.36 क्वि. गेहूँ स्टॉक में कम पाया गया। इस प्रकार उचित मूल्य दुकानदार ने

जिला कलेक्टर
टोंक

राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सख्या 5,8. व 11 का स्पष्ट उल्लंघन किया है।

अप्रार्थी डीलर द्वारा बदनियति से गेहूँ का उपभौक्ताओ को वितरण ना कर गम्भीर अनियमितता की है एवं प्राधिकार पत्र की शर्तों की अवहेलना की है। चूकिं सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य आम गरीब जन से जुडा हुआ है। आम उपभोक्ता की सहज मे सूचनाये अंकित होनी चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। जिला रसद अधिकार टोंक ने डीलर द्वारा राज0 खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 की धारा 5,8 व 11 का उल्लंघन करने के उपरान्त प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया। इस प्रकार उक्त आदेश मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी टोंक का आदेश दिनांक 20.07.2004 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज 07.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
जिला कलेक्टर, टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)